बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि० सं० :–3/अ0प्र0–1–293/2012 2833 /पटना, दिनांक :– 21.9.19

श्री हरिशंकर प्रसाद सिंह, तदेन सहायक अभियंता के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, बक्सर अन्तर्गत आरा बक्सर रोड एन0एच0–84 प्रताप सागर से चिलहरी गांव तक पथ मरम्मति कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 1631 अनु0 दिनांक 06.06.2014 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 11.07.2014 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए अधिसूचना ज्ञापांक–674 अनु0 दिनांक 17.02.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त श्री अरूण कुमार महतो, मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री देवकृष्ण कुमार, सहायक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया ।

2. श्री अरूण कुमार महतो, मुख्य अभियंता–2 का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर कार्यालय आदेश संख्या–240 दिनांक 20.01.2017 द्वारा श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता–2 को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

3. श्री सिंह के दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत होने के कारण अधिसूचना ज्ञापांक 803 दिनांक 24.04.2017 द्वारा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

4. श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता–2–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 4758 अनु0 दिनांक 26.12.2017 द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध गठित छः आरोपों में से आरोप संख्या–2 एवं आरोप संख्या–3 को प्रमाणित पाया गया। आरोप संख्या–2 आलोच्य पथ में undulation पाये जाने तथा आरोप संख्या–3 मरम्मति कार्य कराने के पूर्व सतह का level सही ढंग से नहीं किये जाने से संबंधित है।

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री सिंह से प्रमाणित आरोपों के लिये विभागीय पत्रांक 1077 अनु0 दिनांक 11.05.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री पाठक द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर दिनांक 07.06.2018 विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें कहा गया कि इस पथ के लिए Leveling Course की स्वीकृति, आवंटन के अभाव एवं Undulation के Acceptable Minor Nature (As per Quality Control Provision) होने के कारण, नहीं दी गयी थी, जो पथ के 100 प्रतिशत Profile Correction के लिए आवश्यक है, फिर भी कार्य के समय इसे Minimise करने का प्रयास किया गया। बिना Leveling Course के प्रावधान किये MR के कार्य में 100 प्रतिशत Undulation सही करना संभव नहीं है।

6. श्री सिंह के द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिंह के द्वितीय बचाव बयान में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया, जो संचालन पदाधिकारी के समक्ष कहा गया था, जिसपर संचालन पदाधिकारी द्वारा विचारोपरांत आरोप को प्रमाणित पाया है। द्वितीय बचाव बयान में ऐसा कोई नया तथ्य नहीं रखा गया, जिस पर पूर्व में विचार नहीं किया गया हो।

7. श्री सिंह के द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकार योग्य पाते हुए बिहार पेंशन नियमवली के नियम–43(क) के तहत पेंशन से अगले पांच वर्षों तक 10 प्रतिशत की मासिक कटौती करने तथा मामले में आकलित कुल वित्तीय क्षति रू० 2,74,976/–में से समानुपातिक वसूली के तहत रू० 54,995/– की वसूली की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

8. तदोपरान्त विभागीय पत्रांक 1525 अनु0 दिनांक 14.06.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से दण्ड प्रस्ताव पर सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 1164 दिनांक 14.08.2019 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

अतएव उक्त के आलोक में श्री हरिशंकर प्रसाद सिंह, तदेन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत को समानुपातिक वसूली के तहत रू० 54,995/– की वसूली तथा बिहार पेंशन नियमवली के नियम–43(क) के तहत पेंशन से अगले पांच वर्षों तक 10 प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

23/9/19

(उदय कान्त चौधरी)

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–293/2012 2834 /पटना, दिनांक :–26.9.19

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, गजट वित्त विभाग, बिहार ,पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी० डी० के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

23/9/19

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–293/2012 2834 /पटना, दिनांक :– 26.9.19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/9/19

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–293/2012 2834 /पटना, दिनांक :– 26.9.19

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/9/19

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–293/2012 2834 /पटना, दिनांक :– 26.9.19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/निगरानी विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, आरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर/अवर सचिव (स्थापना प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/अवर सचिव (लेखा प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग/ श्री हरिशंकर प्रसाद सिंह, तदेन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत। पत्राचार का पता–सीमा सदन, अयाची ग्राम, रोड नं0–4 (पश्चिम), पोस्ट–एम0आई0टी0,मुजफ्फरपुर, जिला–मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/9/19

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–293/2012 2834 /पटना, दिनांक :– 26.9.19

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1164 दिनांक 14.08.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/9/19

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–293/2012 2834 /पटना, दिनांक :– 26.9.19

प्रतिलिपि :– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/9/19

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–293/2012 2834 /पटना, दिनांक :– 26.9.19

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित।

23/9/19

अवर सचिव